

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020—माघ 4, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, (जिला शहरी विकास अभिकरण) जिला गुना, मध्यप्रदेश

संशोधित प्रस्ताव

गुना, दिनांक 13 जनवरी 2020

क्रमांक :- डूडा / /वार्डों का विस्तार/2020 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 के तारतम्य में नगरपरिषद आरोन जिला गुना, के वार्डों की सीमा वृद्धि/संकुचन का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अंतिम प्रकाशन हेतु।

| क्र. | वार्ड नं. व नाम | जनसंख्या | | | चतुर्थ सीमा | |
|------|---|----------|-------|---------|--------------|--|
| | | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | | |
| 1 | वार्ड क्रमांक 1 आदिवासीपुरा, संत कबीरदास वार्ड | 2143 | 962 | 219 | उत्तरी सीमा | लियाकत के मकान से गुना रोड हिम्मत सिंह के मकान तक। |
| | | | | | पूर्वी सीमा | गुना नाके के सामने हरतूम सिंह के मकान से डांक बंगला तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | ओझा समाज धर्मशाला से वायपास कालोनी होते हुये कृषि विज्ञान केन्द्र फूलसिंह अहिरवार के मकान तक तथा धर्मशाला से लखन सिंह रघुवंशी के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | फूलसिंह अहिरवार के मकान से गजानंद लोधी व मंगल सिंह सरदार के मकान से सीधे लियाकत के मकान तक। |
| 2 | वार्ड क्रमांक 2 छोटा हरिजन पुरा, अम्बेडकर वार्ड | 1724 | 415 | 208 | पूर्वी सीमा | गुना रोड सीताराम शिवहरे के मकान से लल्लू त्यागी के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | लखन सिंह रघुवंशी के मकान से इन्द्रापार्क होते हुये गुना रोड का पूर्वी भाग गुना नाके के सामने सगोरिया वाले के मकान से रोड का उत्तरी भाग सनमान सहरिया से हरिचरण सहरिया के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | रामचरण काछी के गणेश्वरी मकान से नाई मंदिर तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | लखन सिंह रघुवंशी के मकान से राधा कालोनी से सीधे बहेरा रोड से सीताराम शिवहरे के मकान तक। |

| | | | | | | |
|---|--|------|-----|----|--------------|--|
| 3 | छत्रगति शिवाजी वार्ड, गणेश्वरी मोहल्ला | 1745 | 196 | 0 | पूर्वी सीमा | प्रेमबाबू के मकान से होते हुये अंबिका सोनी के मकान से होते हुये वैद्य जी के मकान से सीधे भूरा काछी के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | भैयन ट्रांसपोर्ट से लोधी मोहल्ला नाई मोहल्ला, रामेश्वर ओझा के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | रामचरण काछी के मकान से नाई मंदिर तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | भैयन ट्रांसपोर्ट से बृजेन्द्र सिंह राजपूत के मकान तक। |
| 4 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वार्ड प्रताप मार्ग | 1760 | 205 | 11 | पूर्वी सीमा | छोटे जैन मंदिर से सार चबूतरा होते हुये बाबूलाल साहू के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | नेहरु कलेशिया के मकान से होते हुये प्रताप भउआ के मकान से अनिल सोनी के मकान से सीधे भूरा काछी तक का पूर्वी भाग। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | बाबूलाल साहू के मकान से मिर्धा मोहल्ला होते हुये उपरिंग जी के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | नेहरु कलेशिया के मकान से सदर बाजार होते हुये छोटे जैन मंदिर तक। |
| 5 | महात्मा गांधी वार्ड मठ मोहल्ला, बडा हरिजनपुरा, कुम्हार मोहल्ला | 2518 | 326 | 0 | पूर्वी सीमा | रामसिंह ओझा के मकान से वायपास होते हुए मूडरा टंकी से पनवाडी चौराहे तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | दगूरिया डेम से रामबक्स कुशवाह के मकान से होते हुये गणेशराम चौधरी के मकान तक उत्तरी भाग। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | खेडापतन माता से आसमानी माता होते हुए रामसिंह ओझा के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | प्रकाशचंद जैन के मकान से सोनी मंदिर गली का उत्तरी भाग शिवरामसिंह के मकान तक। |
| 6 | दीनदयाल वार्ड सार चबूतरा मार्ग, सदर बाजार | 1840 | 179 | 03 | पूर्वी सीमा | शिवरामसिंह के मकान के सामने से पनवाडी चौराहे से हीरामन मंदिर का पूरा भाग पुरानी मंडी की बाउण्ड्री तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | मांगीलाल कटारे के मकान से हनुमान मंदिर तथा रामस्वरूप शर्मा की दुकान से जीतेन्द्र पंवार की दुकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | मांगीलाल कटारे के मकान से सोनी मंदिर होते हुए पनवाडी रोड का दक्षिणी भाग। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | जीतेन्द्र पंवार के मकान से दौलत खटीक के मकान से कोरी गली से इमलानी वाले के मकान तक समस्त पूर्वी भाग। |
| 7 | महाराणा प्रताप वार्ड श्याम गली मंडी रोड | 1670 | 115 | 10 | पूर्वी सीमा | गुलाब सिंह यादव के मकान से कोरी मोहल्ला का पश्चिमी भाग रमजानी के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | असलम बेग के मकान से गुलाबगंज बाजार का पूर्वी भाग नानू सोनी के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | रमजानी चाचा के मकान से असलम बेग के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | नानू सोनी के मकान से होते हुये जैन मंदिर से इमलानी वाले के मकान तक। |
| 8 | सुभाषचन्द्र बोस वार्ड नारायण कालोनी, गोंड मोहल्ला | 1730 | 36 | 0 | पूर्वी सीमा | मूलचंद बोहरे के मकान से गोंड मोहल्ला मुक्तिधाम गेट तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | मार्केटिंग सोसायटी के भवन से खुली भूमी सोमा हरिजन के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | मूलचंद बोहरे के मकान से मिन्दूलाल जैन के मकान से होते हुए मार्केटिंग सोसायटी तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | अशोकनगर रोड मोड खुली भूमी से सिरोंज रोड का उत्तरी भाग मुक्तिधाम तक। |
| 9 | चन्द्रशेखर आजाद वार्ड सिरोंज रोड, साहू कालोनी, गोंड शिवशक्ति नगर | 1283 | 36 | 0 | पूर्वी सीमा | नवीन मण्डी से नवीन वायपास होते हुये सारथी सिटी नरसिंह देव की वावडी तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | आविद खान की दुकान से चौखेट रोड का पूर्वी भाग लल्ला काछी के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | आविद खान की दुकान से सिरोंज रोड का दक्षिणी भाग नवीन मंडी से देयर हाउस तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | लल्ला काछी के मकान से नरसिंह देव की वावडी तक। |

| | | | | | | |
|----|--|------|-----|----|--------------|--|
| 10 | जवाहरलाल नेहरू वार्ड सरस्वती कालोनी | 1713 | 81 | 18 | पूर्वी सीमा | मोहन औदित्य के मकान से गुलाबगंज बाजार का पश्चिमी भाग देवेन्द्र जैन की दुकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | डा. गोयल का बाड़ा से विश्वीर सिंह रघुवंशी के मकान से होते हुये छोटे सिंह सेंगर के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | मोहन औदित्य के मकान से गुना रोड का दक्षिणी भाग छोटे सिंह सेंगर के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | देवेन्द्र जैन की दुकान से शंभुदयाल ओझा के मकान तक। |
| 11 | जगदम्बा वार्ड जगदम्बा कालोनी | 1675 | 294 | 19 | पूर्वी सीमा | पवन जैन (घुच्च) के मकान से गुलाबगंज बाजार का पश्चिमी भाग संजीव सोनी की दुकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | ओझा धर्मशाला से धर्मवीर के मकान तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | धर्मवीर रघुवंशी के मकान से पवन जैन (घुच्च) के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | संजीव सोनी की दुकान से दत्तात्रेय मंदिर होते हुये रामकिशन जोशी के मकान तक। |
| 12 | दत्तात्रेय वार्ड गांधी नगर | 1830 | 45 | 25 | पूर्वी सीमा | सिरोंज रोड नेहरू पार्क से अशोकनगर रोड पर स्व. शिवराम जोगी दांतो के डाक्टर के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | वकील साहव के वाड़े के कोने से ईदगाह गेट छत्री तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | स्व. शिवराम जोगी दांतो के डाक्टर के मकान से गुलाबगंज मंदिर मगन मामा के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | भैयालाल ओझा के मकान से सिरोंज रोड का उत्तरी भाग नेहरू पार्क तक। |
| 13 | सरदार भगतसिंह वार्ड | 2151 | 406 | 48 | पूर्वी सीमा | रिजौदा रोड तिराहे से सी.सी. रोड का पश्चिमी भाग तुरसीराम अहिरवार के मकान तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | बम भोले की मडिया से ओझा धर्मशाला संजीव कुशवाह के गार्डन तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | रिजौदा रोड तिराहे से वकील साहव के पेट्रोल पंप तक कुशवाह के गार्डन तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | तुलसीराम के मकान से असलमवेग के वाड़े से रिजौदा रोड तक। |
| 14 | सियाराम बाबा वार्ड सियाराम कालोनी बरवट पुरा | 2341 | 825 | 57 | पूर्वी सीमा | महेन्द्रसिंह झाला के मकान से सियाराम आश्रम रोड का पश्चिमी भाग सियाराम आश्रम तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | रिजौदा रोड पर रमेश जैन के मकान से सी.सी. रोड का पूर्वी भाग सियाराम आश्रम तक। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | महेन्द्र सिंह झाला के मकान से रिजौदा रोड का दक्षिणी भाग रमेश जैन के मकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | सियाराम आश्रम रोड गोशाला से सीधे रिजौदा रोड तक। |
| 15 | संत रविदास वार्ड बरवट पुरा, पावर हाउस, वाल्मिक मोहल्ला | 1922 | 834 | 27 | पूर्वी सीमा | नवीन बस स्टेण्ड सिरोंज रोड पर रघुवीर सिंह राजपूत की दुकान से चौखेट रोड का पश्चिमी भाग चौखेट नाके तक। |
| | | | | | पश्चिमी सीमा | बंटी पत्रकार की दुकान से नगर परिषद होते हुए सीधे जिन्दबाबा आश्रम तक का पूर्वी भाग। |
| | | | | | उत्तरी सीमा | बंटी पत्रकार की दुकान से सिरोंज रोड का दक्षिणी भाग रघुवीर सिंह राजपूत की दुकान तक। |
| | | | | | दक्षिणी सीमा | चौखेट रोड लल्ला काष्ठी के मकान से सीधे जिन्दबाबा के आश्रम तक। |

भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर.

कार्यालय, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2020

क्र. 135-2020.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट नगर निगम के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कालम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है:—

सारणी

| अनुक्रमांक (1) | नगर निगम का नाम (2) | वार्डों की संख्या (3) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | नगरपालिक निगम, जबलपुर | 82 |

रविन्द्र कुमार मिश्रा, कमिश्नर.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण), जिला गुना, मध्यप्रदेश

क्रमांक 624-डूडा-2020

गुना, दिनांक 23 जनवरी 2020

संसोधित

क्रमांक 624/डूडा/2019 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर जिला गुना नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका के लिये कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या 39 के स्थान पर 38 अवधारित कि जाती है:-

-:सारणी:-

| अनुक्रमांक | नगरपालिका नगरपरिषद का नाम | वार्डों की संख्या |
|------------|---------------------------|-------------------|
| 1- | 2 | 3 |
| 1 | नगरपालिका नगरपरिषद गुना | 38 |

भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर.